न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—423/2013/223 (2013/00067)

1. सलामुदीन उर्फ सली खान पुत्र मुनीर खां, जाति मुसलमान, नि0 छावनी परेड ब्यावर, जिला अजमेर हाल निवासी मसूदा रोड़ गौ—माता कॉलोनी, ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिय भू—धारक, जिला कलक्टर, अजमेर ।
2. उप—पंजीयक, पंजीयन कार्यालय, ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 31.7.2013 अंतर्गत वाद संख्या 10/2012.

उपस्थितः—

1. श्री विभोर गौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 से 3.

निर्णय

दिनांकः—31.8.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2013 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधि0 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी, जो ग्राम छावनी प्रेड, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र नया नगर, तहसील ब्यावर में स्थित है जिसके खसरा नंबर 330 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 331 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 332 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी—2 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वादी के दादा अब्दुल रहमान व अहमद बख्श के नाम बतौर खातेदारी दर्ज चली आ रही है । अब्दुल रहमान नाऔलाद फौत हुए व अहमद बख्श के एकमात्र पुत्र मुनीर खां थे जो कि वादी के पिता है । मुनीर खां अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त रहे तथा मुनीर खां की मृत्यु उपरांत वादी/अपीलांट का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । विवादित आराजियात पुश्तैनी है लेकिन राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलीभगत से वादग्रस्त आराजियात को राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन अंकित कर दिया जो गलत व अवैध है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय व डिक्री

दिनांक 31.7.2013 द्वारा वादी का वाद सव्यय खारीज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात वादी के दादा अब्दुल रहमान व अहमद बख्श के नाम बतौर खातेदारी दर्ज चली आ रही है । अब्दुल रहमान नाऔलाद फौत हुए व अहमद बख्श के एकमात्र पुत्र मुनीर खां थे जो कि वादी के पिता है । मुनीर खां अपने जीवनकाल में विवादित आराजियात पर काबिज काश्त रहे तथा मुनीर खां की मृत्यु उपरांत वादी/अपीलांट का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । विवादित आराजियात पुश्तैनी है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण की विधिक स्थिति की ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया तथा ना ही प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की थी । ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वतः ही डिक्री किये जाने योग्य था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री में केवल ामत्र यह आधार लिया है कि वादी के पिता मुनीर खां ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजियात के कस्टोडियन खाते में लगने पर कोई उज्र क्यों पेश नहीं किया, इस बाबत् वादी/अपीलांट ने न तो कोई कथन किया है एव ंना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है । अधी0न्याया0 का उक्त निष्कर्ष गलत है क्योंकि वादी/अपीलांट अपने वाद में यह कहकर आया है कि विवादित भूमि कस्टोडियन के नाम अंकित होने की जानकारी दिनांक 10.10.2012 को राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर हुई थी, ऐसी स्थिति में वादी के पिता मुनीर खां द्वारा पूर्व में उज्र नहीं करने के संबंध में वाद पत्र में कथन किया जाना संभव नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ साक्ष्य के रूप में 19 दस्तावेजात प्रदर्शित किये थे व मौखिक साक्ष्य पेश की गई थी जिस पर प्रतिवादीगण ने जिरह भी नहीं की थी । इस प्रकार वाद की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अखण्डनीय होने से भी वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

4. विद्वान पैरोकार सरकार ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार ने बाद जांच जो खातेदार विभाजन के समय पाकिस्तान चले गये थे उनकी भूमियों को कस्टोडियन दर्ज किया है । वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने का भार वादी पर था जिसमें वह पूर्णतया असफल रहा है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजियात अपीलांट के दादा अब्दुल रहमान व अहमद बख्श के नाम खातेदारी से दर्ज थी तथा अब्दुल रहमान नाऔलाद फौत हुए व अहमद बख्श के एकमात्र पुत्र मुनीर खां थे जो कि वादी/अपीलांट के पिता है । मुनीर खां अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त रहे तथा मुनीर खां की मृत्यु उपरोत वादी/अपीलांट विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने विवादित आराजियात को गलत रूप से कस्टोडियन दर्ज कर दिया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु अनुतोष सहित कुल

4 तनकियात कायम की है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट के दादा अब्दुल रहमान व अहमद बख्श का नाम जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 प्रदर्श–8 व खेवट सन् फसली 1350 में दर्ज है । तत्पश्चात् कस्टोडियन भूमियों का सर्वे किया गया तथा सर्वे के बाद जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 एवं 2022 से 2025 बनी थी उस दौरान कस्टोडियन भूमियों का सर्वे चला था और सर्वे में जो भूमियां कस्टोडियन में विधिक रूप से ग्राह्य योग्य थी उन्हीं भूमियों को कस्टोडियन दर्ज किया गया है । अपीलांट अपने पिता मुनीरखां की मृत्यु 1995 में होना बताता है जबक जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 का वर्ष 1957 से 1060 बनता है । सन् 1960 से 1995 तक वादी/अपीलांट के पिता मुनीर खां द्वारा विवादित आराजियात कस्टोडियन खाते में दर्ज होने के संबंध में उज्र क्यों नहीं किया गया यह संदेहास्पद है । अधी0न्याया0 ने वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर तनकियों पर विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/अपीलांट का वाद अपास्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । चूंकि अपीलांट कस्टोडियन भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन रहा है, ऐसी स्थिति में कस्टोडियन भूमि के संबंधित नियम/प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन की कार्यवाही करने हेतु अपीलांट स्वतंत्र है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2013 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांट अपास्त की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर